

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक: 6(1) चिस्वा/2/2023/ई-04388

जयपुर, दिनांक:

—:आदेश.—

डॉ. सुमेर सिंह गुर्जर, चि0अ0, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, रैणी, जिला-अलवर ने दिनांक 02.07.2020 से 31.07.2020 तक (कुल 30 दिवस) निदेशालय, जयपुर में आदेशों की प्रतीक्षा में उपस्थिति दी है।

डॉ. सुमेर सिंह गुर्जर, चि0अ0, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, रैणी, जिला-अलवर के दिनांक 02.07.2020 से 31.07.2020 तक (कुल 30 दिवस) को राजस्थान सेवा नियमों के नियम-7 (8) (ख) (III) के अंतर्गत ड्यूटी पर माने जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। उक्त नियमों के नियम 25-क के अंतर्गत इस अवधि का वेतन एवं भत्ते शासित होंगे।

साथ ही डॉ. सुमेर सिंह गुर्जर, चि0अ0, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, रैणी, जिला-अलवर का आदेशों की प्रतीक्षा अवधि के पश्चात् दिनांक 31.07.2020 से 06.08.2020 तक (7 दिवस) का परिवर्तित स्वीकृत किया जाता है।

आज्ञा से

(निमिषा गुप्ता)

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—

1. निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, राज. जयपुर।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अलवर।
3. डॉ. सुमेर सिंह गुर्जर, जरिये निदेशक (जन.स्वा.)।
4. निजी/ रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

Signature valid

Digitally signed by Nimisha Gupta
Designation: Joint Secretary To
Government
Date: 2023.08.10 14:27:03 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4420506



20/8/2023

राजस्थान-सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सेवायें, राजस्थान, जयपुर।
क्रमांक : ई/चिअ/एस-2379/2023/281 दिनांक : 11/09/23
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. शासन संयुक्त सचिव, चिकित्सा शिक्षा (गुप-1) विभाग, राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक प.15(1)चिस्वा/2/2023/दिनांक 10.08.2023 के क्रम में।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अलवर।
3. चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, रैणी, जिला-अलवर
4. अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, एटीसी/डीपीसी (राजपत्रित), मुख्यालय।
5. डॉ. सुमेर सिंह गुर्जर, चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, रैणी, जिला-अलवर।
6. सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख हैं कि उक्त पत्र को आज ही सम्बन्धितों की ई-मेल आई.डी. पर अपलोड कराने का श्रम करें।
7. रक्षित/निजी पत्रावली।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर